

टी0ए0 मिस केस सं0 216/2018-19
आदेश

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ईश्वर सावैयाँ, पिता- स्व0 नन्द किशोर सावैयाँ, ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईवारा ने मौजा- गितिलपी, थाना- 580, खाता नं0- 32, प्लॉट नं0- 137, रक्वा- 0.09½ एकड़ भूमि क्रेता बासमती पुरती, उर्फ बासमती चाम्पिया, पति- सदानन्द चाम्पिया, ग्राम- तुईबीर, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 560, दिनांक- 13.08.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने एवं बच्चों की पढाई हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता बासमती पुरती, उर्फ बासमती चाम्पिया, पति- सदानन्द चाम्पिया, ग्राम- तुईबीर, थाना- मुफसिल, के पास 10,26,000.00/- (दस लाख छब्बीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.60 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक ईश्वर सावैयाँ, पिता- स्व0 नन्द किशोर सावैयाँ, ग्राम- तुईबीर, क्रेता बासमती पुरती, उर्फ बासमती चाम्पिया, पति- सदानन्द चाम्पिया, ग्राम- तुईबीर, थाना- मुफसिल के पास 10,26,000.00/- (दस लाख छब्बीस हजार) रूपये में मौजा- गितिलपी, थाना- 580, खाता नं0- 32, प्लॉट नं0-137, रक्वा- 0.09½ एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।